


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
----------------	----------------------------------	---

11/5/18

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत  
 अफिलान न्याय आपके द्वार के मय  
 समीक्षा के लिए हुई। पत्रावली राजस्व  
 अदालत की गयी। तब यह इस प्रकार से  
 है कि यह पत्रावली इस न्यायालय में इन  
 तबले के साथ फेस किया है कि 18वां दिन  
 कारण कि न 171 रकम 01वीं 11 दिव्य, 182  
 रकम 01वीं-10 दिव्य, 615/186 रकम 2वीं 21  
 02 दिव्य स 619/190 रकम 01वीं 9 दिव्य  
 18वां ग्राम समीक्षा 18वीं राजस्व पर  
 वादी से उचित 19 स 29 मुताबिक राजस्व रिपोर्ट  
 आपने रूपरेखा इसके पा कारिय है। इस  
 उचित दिव्य 1 स 19 कि न 169 रकम 11 दिव्य  
 के कारण कार्यालय व कारिय कारिय है। इस कि न  
 के कारिय कि स 29 है। इस कि न 3 दिव्य रकम  
 रकम के साथ कि न है। तब रिपोर्ट कि न की  
 व निहर है। इस कि न 169 के प्रथम वादी कि न  
 121 18 दिव्य तब अन्य कि न की वादी कि न  
 उचित दिव्य न गप लु कि न के कि न है तब  
 तब कि न वादी कि न कारिय पा पवर  
 कार्यालय पा है एक व फकी है है दाव  
 दाव से पूर्व वही फकी मुताबिक पत्रावली  
 कि न के कि न वादी दाव उचित दिव्य  
 कि न कि न कि न कि न कि न कि न कि न  
 दाव कि न कि न कि न कि न कि न कि न  
 दाव कि न कि न कि न कि न कि न कि न

इसने पत्रावली का रकम सके कि न  
 तब मुताबिक दाव कि न अदालत स 29  
 की गयी। पत्रावली दाव कि न वादी कि न

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 राजाखेड़ा (धौलपुर)

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुये

के सिविल प्रकाट का इन्फोर्मेशन न फरक  
की बात कही है

उपरोक्त कथने के हैं कि शक्य तद्वि  
1810 सिविल प्रकाट जारी वादीगण उपरोक्त  
परिधि स्पष्ट विवेचना के पावन सिद्ध  
प्राप्त हैं कि वे वादी की (कोर्ट) के  
कमिशन नं. 171, 182, 615  
1-11, 1-10, 186 शक्य  
02वीं व 03वीं व 619/190 शक्य 01 व 02  
03 व 04 सिविल नं. 171, 182, 615  
राजखड़ा पर वादी के कथन फरक के  
कोर्ट इन्फोर्मेशन नं. 171, 182, 615  
के। हालांकि कोर्ट सुनान देकर वादी  
तकनीक शाब्दिक रूप से उक्त  
सुनाया गया।

उपरोक्त अधिकारी  
राजाखड़ा (धौलपुर)